उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय रामगढ़

(अनु०जनजाति अनु०जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

रामगढ़ जिला अन्तर्गत अनु०जनजाति अनु०जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय, माण्डू एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय गोला में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खाद्य–अखाद्य सामग्री, एवं दो सेट पोषाक, स्कुल बैग, जूता–मोजा, नाईट ड्रेस, ब्लेजर, स्पोर्टस ड्रेस, स्लीपर, अंतःवस्त्र, बेल्ट एवं बैच आपूर्ति करने हेतु संबंधित सामग्रियों की क्रय हेतु निविदा थोक एवं खुदरा निबंधित/पंजीकृत विक्रेताओं/निर्माताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते तथा सामग्रियों की सूची कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है एवं जिला के वेबसाइट **www.ramgarh.nic.in** में देखी जा सकती है।

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला कल्याण कार्यालय, रामगढ़ में दिनांक– 17/1/2020 को 12:00 बजे अपराह्न तक जिला कल्याण कार्यालय, रामगढ़ में जमा कर सकते है तथा उसी दिन 3.00 बजें अपराह्न में उप विकास आयुक्त, रामगढ़ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा, निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थति में खोली जाएगी।

प्रत्येक निविदाता को निविदा द्विलिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग (कपड़ा, पोशाक एवं खाद्य सामाग्री के लिए अलग) मुहरबंद लिफाफे में सभी कागजात स्वः हस्ताक्षर युक्त देना आवश्यक होगा। तकनीकी बीड में सभी शर्तो को पूरा करने वाले निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

28/12/19

जिला कल्याण पदाधिकारी,
रामगढ़।

उप विकास आयुक्त,
रामगढ़।

(क) तकनीकी बीड की शर्ते

1. निविदादाता को निविदा के साथ खाद्य–अखाद्य सामग्री के लिए 50,000/– (पचास हजार) रूपये, दो सेट पोंशाक, स्कुल बैग, जूता–मोजा, नाईट ड्रेस, ब्लेजर, स्पोर्टस ड्रेस, स्लीपर, अंतःवस्त, बेल्ट एवं बैच के लिए 25,000/– (पचीस हजार) रूपये अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट, जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के पदनाम से अलग–अलग जमा करना होगा। उक्त लिफाफे के उपर तद्नुसार नाम अंकित करना होगा।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठांन का वित्तीय वर्ष 2019–20 का आयकर, वाणिज्य कर का पंजीकरण, खाद्य सामग्री हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत लाईसेंस, कृषि बाजार समिति की अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को आयकर एवं बिक्रीकर अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को सामाग्री का दर सभी कर सहित दर देना होगा। प्रत्येक सामग्री का एक ही दर मान्य होगा।
5. निविदादाता को अध्यतन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों का नमूना जिला कल्याण कार्यालय, रामगढ़ में जमा करनी होगी एवं सामग्रियों की आपूर्ति अनुमोदित नमूने की अनुरूप करनी होगी।
7. निविदादाता को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंध्री शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. शर्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं मांगे गए वांछित प्रमाण–पत्र नहीं देने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. तकनीकी तथा वित्तीय बीड को एक ही लिफाफा में समर्पित करने वाले निविदादाता की निविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।

(ख) वित्तीय बीड की शर्तेः—

10. आवश्यकता के अनुसार ही सामाग्री का आपूर्ति आदेश निर्गत की जाएगी।
11. सामग्री की आपूर्ति आवासीय विद्यालयों में पहुंचाकर करनी होगी, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा।
12. निविदा का निस्तार सामग्रियों की गुणवत्ता तथा दर के आलोक में किया जायेगा।
13. आपूर्त्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा एवं आपूर्तिकर्त्ता को आवंटन नही रहने पर भी सामाग्रीयों की आपूर्ति जारी रखना होगा। इस मद में विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर ही समर्पित अभिश्रव/विपत्रों का संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया जायेगा।
14. निविदादाता को एक वर्ष तक खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर पर करनी होगी, किसी भी परिस्थति में दर संशोधन नहीं किया जायेगा।
15. आपूर्ति ओदश प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर सामानों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन राशि सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी।
16. स्वीकृत निविदित प्रतिष्ठान को जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के साथ एकरारनामा करना होगा।
17. किसी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

28/12/09

जिला कल्याण पदाधिकारी,
रामगढ़।

उप विकास आयुक्त
रामगढ़